कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र सं0 956/एसएल0एस0ए0–37ए/2010 दिनांकित अप्रैल 19, 2018 के अनुक्रम में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर के ए0डी0आर0 केन्द्र हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद व सफाईकर्मी 01 पद) समेत कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/–, 5000/– व 2000/– रूपये पर अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2019 तक के लिए नियुक्ति आउटसोर्सिंग के द्वारा की जानी है। तद हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर में दिनांक–15.11.2018 तक स्वीकार किये जाएगें। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता नियम व शर्तें जनपद न्यायालय, संत कबीर नगर की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/santkabirnagar से डाउनलोड किया जा सकता है।

31-10-18

(रामा नन्द)
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
संत कबीर नगर।

दिनांक– 31-10-18

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सन्त कबीर नगर

नियम व शर्तें :–

1. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद व सफाईकर्मी 01 पद) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/–, 5000/– व 2000/– रूपये पर अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2019 तक के लिए नियुक्ति की जायेगी। नियुक्त कर्मचारीगण का मानदेय सेवा प्रदाता के माध्यम से भुगतान किया जाएगा और सम्बन्धित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे, सम्बन्धित कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर के मध्य इस सम्बन्ध में कोई संव्यवहार/पत्राचार नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त अस्थाई पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित निम्नतम योग्यता होगी–

क्र0सं0	पद का नाम एवं संख्या	योग्यता
01	चपरासी (02 पद)	कक्षां आंठवी
02	चौकीदार (01 पद)	कक्षा पॉच
03	सफाईकर्मी (01 पद)	शिक्षित

उपरोक्त के अतिरिक्त अच्छे आचरण एवं चाल–चलन वाला, आज्ञाकारी व विनम्र स्वभाव होना अनिवार्य है।

2. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कोई भी अपराधिक इतिहास व कोई भी अनैतिक आचरण का कोई आरोप नहीं होना चाहिए।
3. आवेदन निःशुल्क है।
4. आवेदन–पत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय संत कबीर नगर में दिनांक 15.11.2018 को सांय 4:00 बजे तक जमा किये जा सकेगें।
5. चयनित सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, संत कबीर नगर से 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त आशय का एक इकरारनामा निष्पादित करेगा, जिसमें नियुक्त व्यक्ति का आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यताधारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।
6. नियुक्त कर्मचारी की सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय व स्तर पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

ह0/ 31-10-18

(रामा नन्द)
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
संत कबीर नगर।

दिनांक– 31-10-18